

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021

प्रलिस के लयः

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2021

मेन्स के लयः

भारत के हतः में देशों की नीतयः और राजनीतः का प्रभाव, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता ।

चर्चा में क्यः?

हाल ही में अमेरःकी वदःश वःभाग द्वाःरा अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता (IRF) पर 2021 की रिपोर्ट ज़ारी की गई ।

- यह दस्तावेज़ **अमेरःकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग** (USCIRF) द्वाःरा ज़ारी IRF रिपोर्ट से अलग है ।
- USCIRF एक स्वतंत्र, द्वाःदलीय संघीय सरकारी इकाई है, जबकः IRF अमेरःकी वदःश वःभाग का हसःसा है । पूरव की रिपोर्ट एक वैधानःकः स्थान रखती है ।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अमेरःकी कार्यालयः

- **पृष्ठभूमः**
 - वर्ष 1998 में तत्कालीन अमेरःकी राष्ट्रपतः बलः क्लटःन ने **अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधनःयःम (IRFA, 1998)** को हस्ताकषरतः कःया ।
 - इस अधनःयःम ने अमेरःकी सरकार के वदःश वःभाग के तहत एक राजदूत-एट-लार्ज की अधःयकषता में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के कार्यालय का नःरःमाण कःया और **अमेरःकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF)** की स्थापना की ।
- **उद्देश्यः**
 - यूःएस ऑफःसः ऑफः इंटरनेशनल रलःजःयःस फ़्रीडःम (IRF) वःशःव स्तर पर धार्मःकः रूप से प्रेरतः दुर्व्यवहार, उत्पीडन और भेदभाव पर नज़र रखता है ।
 - इसके अतरःकःत यह उल्लखःतः चतःताओं को दूर करने के लःयःनीतयः और कारःयकःरमों की सफःारशः, वःकःास और कारःयान्वयन करता है ।
 - IRF में यह भी उल्लेख कःया गया है कः यह धःरुःम और वःवःकः की स्वतंत्रता को लागू करने के लःयः वैश्वःकः स्तर पर उभरते लोकतंत्रों की सहायता करता है ।
 - इसके अलावा उन शासनों की पहचान करें और उनकी नदःा करें जो धःरुःम के आधार पर उत्पीडन करते हैं और धार्मःकः स्वतंत्रता को बढावा देने में वःशःव स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की सहायता करते हैं ।

रिपोर्ट की मुखःय बःदुः

- **भारतः**
 - **बढते हमलेः**
 - भारत में लोगों (धार्मःकः असहषःणुता के कारण) और **पूजा स्थलों पर हमलों में वृद्धः** देखी गई है ।
 - धार्मःकः अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर ये हमले वर्ष भर होते रहे हैं जःनःमें हतःयाएँ और उनको डराना-धमकाना शामिल है ।
 - इनमें गोहत्या या गोमांस के वःयापार के आरोपों के आधार पर गैर-हःदुःओं के खलःाफः हमले की घटनाएँ भी शामिल थी ।
 - **धःरुःमांतरण वःरःधी कानूनः**
 - इसके भारत खंड में देश में **धःरुःमांतरण वःरःधी कानूनों** पर भी प्रकाश डाला गया है, यह देखते हुए कः 28 राज्यों में ये कानून हैं और उनके तहत गरःफतारी की गई थी ।
 - ये यह भी बताता है कः कःई राज्य सरकारों ने धःरुःमांतरण वःरःधी कानूनों को पेश करने की योजना की घोषणा की है ।

- पुलिसि द्वारा गरिफ्तारियाँ:
 - पुलिसि ने गैर-हदिओं को मीडिया या सोशल मीडिया पर टपिपणी करने के लिये गरिफ्तार कया, जनिहें हदि धर्म या हदिओं के लिये अपमानजनक माना गया था ।
- संदगिध आतंकी:
 - जम्मू-कश्मीर में बहिर के हदि प्रवासी शर्मकिों सहति नागरकिों और प्रवासयिों को नशाना बनाकर और उनकी हत्या करने वाले हमले भी हुए हैं ।
 - रपिर्ट के अनुसार, इसने हदि और सखि समुदायों में व्यापक भय पैदा कर दया है, जससे कई क्षेत्तर से प्रवासयिों का पलायन हुआ ।
- लचिगि:
 - वर्ष 2021 में त्रपिरा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में मुस्लिमिों की लचिगि की घटनाओं का भी जकिर है ।
- वदिशी अंशदान वनियिमन अधनियिम:
 - गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के कामकाज को बाधति करने के लिये सरकार द्वारा वदिशी योगदान वनियिम अधनियिम का इस्तेमाल कया गया था ।
 - हालांकि, सरकार का दावा है कि इस अधनियिम का इस्तेमाल वदिशी गैर सरकारी संगठनों की नगिरानी और जवाबदेही को बढ़ाने के लिये कया जाता है ।
- वैश्वकि स्थति:
 - परचिय:
 - वयितनाम और नाइजीरया को उन देशों के रूप में उदधत कया गया है जहाँ धार्मकि अभवियक्तापर अंकुश लगाया जा रहा था ।
 - धार्मकि स्वतंत्रता प्रतबिधों वाले देशों के उदाहरणों के एक अन्य वर्ग में अमेरिका सहयोगी देश सऊदी अरब, साथ ही चीन, पाकसितान और अफगानसितान शामिल हैं
 - चीन मुख्य रूप से मुसलमि उइगर और अन्य धार्मकि अल्पसंख्यक समूहों के नरसंहार और दमन को जारी रखा है ।
 - पाकसितान में, कई लोगों पर ईशानदि का आरोप लगाया गया है, या वर्ष 2021 में अदालतों द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है ।
 - प्रगत:
 - मोरक्को, तमोर लेस्ते, ताइवान और इराक उन देशों के उदाहरण हैं जहाँ धार्मकि स्वतंत्रता पर प्रगत हुई है ।
 - कुछ देश नागरकिों के "मूल अधिकारों" का सम्मान नहीं कर रहे थे, जसमें धर्मत्याग और ईशानदि कानूनों का उपयोग करना और धार्मकि अभवियक्ताको कम करना- जैसे कि धार्मकि पोशाक को प्रतबिधति करना शामिल है ।

भारत में धार्मकि स्वतंत्रता की स्थति:

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 25-28 तक धार्मकि स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख कया गया है ।
 - **अनुच्छेद 25** (अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता) ।
 - अनुच्छेद 26 (धार्मकि कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) ।
 - अनुच्छेद 27 (किसी वशिषिट धर्म की अभविद्धा हेतु करों के संदाय को लेकर स्वतंत्रता) ।
 - अनुच्छेद 28 (कुछ वशिषिट शैक्षिक संस्थाओं में धार्मकि शकिषा या धार्मकि उपासना में उपस्थति होने को लेकर स्वतंत्रता) ।
- इसके अलावा संवधान के **अनुच्छेद 29-30** में अल्पसंख्यकों के हतियों की सुरक्षा से संबंधति प्रावधान हैं ।

स्रोत: द हदि